पत्र संख्या–15 सी 3–12/2014 -1231
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

प्रेषक,

शिवेश रंजन
विशेष कार्य पदाधिकारी

सेवा में,

कुलसचिव,
बी०आर०ए०बिहार विश्वविद्यालय,
मुजफ्फरपुर।

पटना,दिनांक 02/7/14

विषयः– श्री केदार नाथ पाण्डेय, माननीय स0वि0प0 द्वारा बिहार विधान परिषद् के 177 वें सत्र में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ई–37 के संबंध में।

प्रसंग– आपके पत्रांक B/1374 दिनांक–27.06.2014

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक1173 दिनांक–20.06.2014 द्वारा श्री केदार नाथ पाण्डेय, माननीय स0वि0प0 द्वारा बिहार विधान परिषद् के 177 वें सत्र में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ई–37 का उत्तर सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। उक्त पत्र के आलोक में आपके पत्रांक–B/1374 दिनांक 27.06.2014 द्वारा प्रेषित की कंडिका ''क'' का उत्तर स्पष्ट नहीं है। कंडिका ''क'' में उल्लेखित शिक्षकों की सेवा निवृति की तिथि वर्ष 2009 से 28.02.2010 तक के बीच में है जबकि पेंशन भुगतान जून 2012 से किये जाने का उल्लेख है। ऐसा क्यों ?

अतः अनुरोध है कि प्रश्नोत्तर कंडिका ''क'' का उत्तर सामग्री तथ्य सहित विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाए।

विश्वासभाजन,

(शिवेश रंजन)
विशेष कार्य पदाधिकारी

बिहार विधान परिषद् के 177 वें सत्र के लिए श्री केदारनाथ पाण्डेय, माननीय स०वि०प० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या ई० 37		माननीय मंत्री श्री वृषिण पटेल, शिक्षा विभाग से प्राप्त उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः—		
(क)	क्या यह सही है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत डा० प्रभा सेमुयल एस एन एस कालेज मोतिहारी से 31.03. 2009 को डा० चन्द्रकेतु प्रसाद सिंह एम एस कालेज मोतिहारी से 31.07.09 को डा विद्याभुषण दास एम एस कालेज मोतिहारी से 30.11.2009 को डा0 सत्य नारायण चौधरी एल एस कालेज मुजफ्फरपुर से 28. 02.10 को सेवानिवृत हुए किन्तु इनके पेंशन का भुगतान जून 2012 से किया जा रहा है,	
(ख)	क्या यह सही है कि उक्त सभी शिक्षकों की सेवानिवृति की तिथि से मई 2012 तक के पेंशन का भुगतान लंबित कर दिया गया है और समय–समय पर महंगाई भत्ते में जो बढ़ोतरी होती है उसका भी भुगतान इन शिक्षकों नहीं किया जा रहा है,	
(ग)	क्या यह सही है कि छठे वेतनमान के लागू होने के बाद 01.01.2006 से शिक्षकों को देय कुल बकाये राशि के अंतर वेतन का मात्र 20 प्रतिशत ही इन शिक्षकों को भुगतान किया गया हे,	
(घ)	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मकक है तो सरकार देय तिथि से इनके लंबित पेंशनादि वद्धित महंगाई भत्ते और छठे वेतनमान के संशोधन के फलस्वरूप देय बकाये राशि का भुगतान कराना चाहती है यदि हां तो कबतक नही तो क्यों ?	